इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. एफ ए-1-01-2013-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, भाग—पांच कार्य नियमों के नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश के अधीन शीर्षक ''घ—परिषद् के लिये प्रक्रिया'' के अधीन मद 25—क के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''25—क. मंत्रि-परिषद् की आर्थिक मामलों, राजनैतिक मामलों, कृषि और सहबद्ध मामलों तथा निवेश संवर्धन के लिये गठित समितियों के संबंध में प्रक्रिया वही होगी जो कि परिषद् के समक्ष लाए जाने वाले मामलों के संबंध में अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 13 से 25 में विहित है. इन समितियों के विनिश्चय, समस्त प्रयोजनों के लिए, मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय समझे जाएंगे.''

**स्पष्टीकरण.**—इन अनुदेशों के प्रयोजनों के लिए ''आर्थिक मामलों की समिति,'' ''राजनैतिक मामलों की समिति'' ''कृषि और सहबद्ध मामलों की समिति'' तथा ''निवेश संवर्धन की समिति'' से अभिप्रेत है, इन नामों से गठित की गई मंत्रि-परिषद् की समितियां.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. आर. विश्वकर्मा,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. एफ ए-1-1-2013-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-1-1-2013-एक (1), दिनांक 28 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. आर. विश्वकर्मा,** उपसचिव.

Bhopal, the 28th May 2013

No. F. A.-1-01-2013-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Rules of Business, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, under PART—V, Supplementary Instruction under rule 13 of the Business Rules, under the heading "D—PROCEDURE OF THE COUNCIL", for item 25—A, the following item, shall be substituted, namely:—

"25-A. Procedure in respect of Committees of the Council of Minister, constituted for namely Economic Affairs, Political Affarirs, Agriculture and Allied Affairs and Investment Promotion shall be the same as prescribed in supplementary instructions number 13 to 25 in respect of matters to be brought before the council. The decisions of these Committees shall be deemed to be the decision of the Council, for all purposes.

**Explanation.**—For the purposes of these instructions, "Committee for Economic Affairs", "Committee for Political Affairs", "Committee for Agriculture and Allied Affairs" and "Committee for Investment Promotion" shall mean committees of the council constituted by these names.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.